



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25745-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **2187/2026**

वैभव यादव उर्फ चंदन यादव एवं अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: राजीव उपाध्याय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: बृजेश कुमार मिश्रा, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना।
2. शुरुआत में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही पूरी हो चुकी है और याचीगण के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, परंतु उन्होंने कथन दिया कि वे इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते और उचित स्तर पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"